# इटावा पुलिस

**प्रेस नोट दिनांक20.03.2024**

## #OPERATION CONVICTION

**इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते नशीली शराब पिलाकर कार की लूट करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 6 वर्ष के कारावास की सुनायी गयी सजा तथा 5,000-/ रूपये का दिया गया अर्थदंड।**

**जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में थाना लवेदी व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते नशीली शराब पिलाकर कार की लूट करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 6 वर्ष के कारावास की सुनायी गयी सजा तथा 5,000-/ रूपये का दिया गया अर्थदंड।**

**संक्षिप्त विवरणः-**

वादी राहुल सिंह पुत्र पूरन सिंह निवासी महादेव नगर थाना समसाबाद जनपद आगरा द्वारा थाना लवेदी पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चालक बबलू सिंह को नशीली शराब पिलाकर कार सं0 UP80DK8799 इटिऑस को लूट ले जाने के संबंध में तहरीरी सूचना दी गयी तहरीर के आधार पर थाना लवेदी पर **मु0अ0सं0 91/2017 धारा 328/392/420/411 भादवि** पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी उ0नि0 गंगादास गौतम द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त रवि यादव उर्फ रवि शंकर पुत्र सत्यनारायण निवासी लुधियानी थाना बकेवर जनपद इटावा के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना लवेदी पुलिस टीम, पैरोकार का0 धर्मेन्द्र सिंह एवं मानीटरिंग सैल व एडीजीसी श्री कौशलेन्द्र सिंह तोमर द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त को **आज दिनांक 20.03.2024 को अन्तर्गत धारा 328/392/420/411 भादवि में मा0 न्यायालय ADJ-7 कोर्ट जनपद इटावा द्वारा 6 वर्ष के कारावास की सुनायी गयी सजा तथा 5,000-/ रूपये का अर्थदंड दिया गया।**

**सजायाफ्ता अपराधी-**

1. **रवि यादव उर्फ रवि शंकर पुत्र सत्यनारायण निवासी लुधियानी थाना बकेवर जनपद इटावा ।**